



# Mangalayatan University, Aligarh

Ref: MU/EC Notification/DDOE/2022/2/10

Dated: 23 June 2022

## **Notification: Establishment of Directorate of Distance and Online Education**

The Executive Council vide MU/EC/2022/2/10 dated 07 June 2022 considered and approved the establishment of Directorate of Distance and Online Education at the University in exercise of power under section 23 (10) of the Uttar Pradesh Private Universities Act (U.P. Act No. 12 of 2019) dated 06 August 2019 and clause 4 K (i)-(e) of Mangalayatan University Statutes 2021 for offering education through Open and Distance Learning/ Online Learning Mode as per UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020. Territorial jurisdiction of the University is Uttar Pradesh and the University will offer its Programmes through Learner Support Centre located at its Headquarter.

Registrar

Registrar  
Mangalayatan University  
Beswan, Aligarh

C.C.:

P.A. to Hon'ble Vice Chancellor for his kind information

All Deans/Directors/Heads

Controller of Examinations

Finance Officer

All concerned



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 6 अगस्त, 2019

श्रावण 15, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1451/79-वि-1-19-1(क)11-19

लखनऊ, 6 अगस्त, 2019

अधिसूचना  
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 5 अगस्त, 2019 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने तथा उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2019 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार और  
प्रारम्भ

Registrar  
Mangalayan University  
Beswan, Aligarh